कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी नैनीताल (हल्द्वानी)

ईमेल–cfontl.ukfs@gmail.com.

पत्रांकः–सी0एफ0ओ0–न–6(इ0) / 2022

दिनांक–अप्रैल 6 ,2023

सेवा में,

PRINCIPAL,
GIC BHATKHOLA,
VILL- BHATKHOLA, POST- CHHANI,
DISTT-BAGESHWAR, UTTARAKHAND.

विषयः– अग्निसुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण–पत्र नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक एंव आवेदक के आवेदन पत्र सं0–57946273 दिनांकः–28.03.2023 के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय से निर्गत आदेश दिनांकः29.03.2023 के अनुपालन में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी बागेश्वर द्वारा GIC BHATKHOLA, VILL- BHATKHOLA, POST- CHHANI, का प्राथमिक अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया, इस कार्यालय को प्रेषित आख्या के अनुसार वर्तमान में निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई।

1.परिसर मे अण्ड़र ग्राउन्ड़ रिजर्व वाटर टैंक 10 हजार ली0 क्षमता एवं ओवर हैड़ रिजर्व वाटर टैंक 05 हजार ली0 क्षमता का प्राविधान किया गया है।

2.संस्थान परिसर में 08 अदद ABC टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 04 किग्रा क्षमता, 01 अदद CO2 टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 4.5 किग्रा क्षमता एवं 08 अदद फायर बकेट का प्राविधान किया गया है।

3.निरीक्षण के दौरान प्रभारी अग्निशमन अधिकारी बागेश्वर द्वारा समबन्धित स्वामी / प्रबन्धक को मानक के अनुसार 90 दिवस के अन्दर 01 अदद सीओटू टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 4.5 किग्रा0 क्षमता का प्राविधान किये जाने हेतु सुझाव / निर्देशित किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थान का किसी भी कार्य दिवस में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया जा सकता है साथ ही निर्देशित किया जाता है कि –

1. संस्थान के विस्तार / अतिरिक्त निर्माण किये जाने की दशा में तदनुसार NBC-2016 के Part-04 में निहित मानको के अनुसार अतिरिक्त अग्निसुरक्षा व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।

2. संस्थान / परिसर में प्रत्येक समय पानी रिजर्व रखा जाना अनिवार्य होगा तथा स्थापित अग्निसुरक्षा व्यवस्था की कार्यक्षमता व रख–रखाव को प्रत्येक समय उच्च स्तर पर बनाये रखेगें।

3. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जायें।

4. आपके संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का सुरक्षित निष्क्रमण प्रकिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।

5. विद्युत स्विच बोर्ड / विद्युत पैनल के आस–पास तथा निकास मार्ग, भवन सैट बैक क्षेत्र में किसी समाग्री का भण्डारण नही किया जायेगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जायेगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नही की जायेंगी।

6. प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर (नियमानुसार (10 रू0 प्रति फायर एक्सटिंयूशर टैस्टिंग शुल्क) निर्धारित शुल्क–(फायर सर्विस हैड 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 60 अन्य सेवाये , 109 अग्नि से संरक्षण एव नियन्त्रण कराया जायेगा) अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण–पत्र नवीनीकृत नही कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः ही निरस्तः समझा जायेगा। साथ ही प्रत्येक छः माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व–घोषणा प्रमाण–पत्र / SELF AUDIT REPORT प्रस्तुत / अपलोड करना होगा।

7. निर्गत अग्निसुरक्षा प्रमाण–पत्र का उपयोग किसी अवैध निर्माण / कब्जे को नियमित करने के लिए मान्य नही होगा।

अतः इस कार्यालय से दिये गये निर्देश / सुझाव तथा शर्तो का पालन किए जाने एवं प्रभारी अग्निशमन अधिकारी बागेश्वर द्वारा मुझ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित संस्तुति आख्यां पत्रांक–फायर रिस्क–16 / 2022 के आधार पर GIC BHATKHOLA, VILL- BHATKHOLA, POST- CHHANI, को दिनांक–06 अप्रैल 2023 से 05 अप्रैल 2026 तक अधिभोग (Occupancy)/अध्यासन किए जाने हेतु अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही है। अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता हैं।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नैनीताल (हल्द्वानी)